Details of the Guilty Persons

***14/16/83 CH. MAMMAN KHAN (Ferozepur Jhirka), M.L.A.:** Will the Chief Minister be pleased to state: -

a) the name of the persons and posts who have been found guilty in regard to the F.I.R. No. 41 dated 27.11.2022 registered in the Police Station, State Vigilance Bureau, district Gurugram togetherwith the action taken by the Government against them;

b) the reasons for which clean chit has been given to Sh. Manoj, S.H.O. and Sh. Satpal, S.H.O. even after their names have been mentioned in the statement of accused; and

c) the reasons for which no action has been taken against R.T.O., district Nuh, even after his driver was also accused in the matter?

MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER, HARYANA

Sir, a statement is laid on the table of the House.

Statement referred to in reply to starred Question No. *14/16/83

a) A case FIR No. 41 dated 27.11.2022 was registered at Police Station, State Vigilance Bureau (now Anti Corruption Bureau), Gurugram against Shakir S/o Iliyas R/o Village Neemkhera, Tehsil Punhana, District Nuh (Mewat). During the investigation of this case, Shakir S/o Iliyas, HC Rajesh, No. 66/Nuh, SPO Rambabu and SPO Mahender Kumar, Rider No. 2, P.S. Punhana, District Nuh were arrested. The challan against accused Shakir has been submitted in the Court of Additional Session Judge, Nuh on 25.01.2023. Further, investigation is in progress.

b) Sh. Manoj and Sh. Satpal are not posted as S.H.O. as mentioned in question. However, they are part of the RTA Staff, Nuh. So far, no clean chit has been given to Sh. Manoj and Sh. Satpal in this case and the case is still under investigation.

c) Accused Shakir has disclosed the role of two drivers of RTA office for taking bribe in this case. However, during the investigation of this case, so far, no evidence has been found against the Secretary, R.T.A., District Nuh. Further investigation in the case is under progress.

******

***<u>Question No. 14/16/83</u>**

NOTE FOR PAD

Case FIR No.	**41 dated 27.11.2022 was registered at Police Station, State Vigilance Bureau (now Anti Corruption Bureau), Gurugram.**
Against:	Shakir S/o Iliyas R/o Village Neemkhera, Tehsil Punhana, District Nuh (Mewat).
Complainant:	Hazi Akhbar S/o Rehmu R/o Village Sevali, Tehsil Hodal, District, Palwal.
Allegations:	The case was registered against Shakir S/o Iliyas for demanding the illegal gratification of Rs. 28,000/- from complainant in lieu of crossing the truck in the Area of District Nuh.
Present Status:	During the investigation of this case, accused Shakir, HC Rajesh, No. 66/Nuh, SPO Rambabu and SPO Mahender Kumar, Rider No. 2, P.S. Punhana, District Nuh were arrested. Bail against HC Rajesh, No. 66/Nuh, has been accepted by the Hon'ble High Court, Chandigarh. The challan against accused Shakir has been submitted in the Court of Additional Session Judge, Nuh on 25.01.2023 and same is now fixed on 17th October, 2023 for charge in the Court of Additional District and Sessions Judge, Nuh. Sh. Manoj, S.H.O. and Satpal, S.H.O. are not posted as S.H.O. in anywhere during the offence of this case, however, they are part of the RTA Staff Nuh. No clean chit has been given to Sh. Manoj and Satpal in this case. Accused Shakir has disclosed the role of two drivers namely Vali Mohhamad and Sahid Ahmad of RTA office for taking bribe in this case. Bail against Vali Mohhamad has been accepted by the Session Court, Nuh and bail against Sahid Ahmad has been accepted by the Hon'ble High Court, Chandigarh. However, during the investigation of this case, at present, no evidence has been found against R.T.O., District Nuh. The case is further investigation, at present.

****

दोषी व्यक्तियों का विवरण

***14/16/83** **चौधरी माम्मन खान (फिरोजपुर झिरका), एम०एल०ए० : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–**

क) एफ०आई०आर० क्रमांक 41 दिनांक 27.11.2022, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो (अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो), जिला गुरूग्राम में दर्ज अभियोग के पाये गये दोषी व्यक्तियों के नाम व पद तथा उनके विरूद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सहित;

ख) श्री मनोज, एस०एच०ओ० व श्री सतपाल एस०एच०ओ० को आरोपी के ब्यान में उनके नामों का उल्लेख होने के बाद भी जिन कारणों से क्लीन चिट दी गई; तथा

ग) इस मामलें में, आर०टी०ओ०, जिला नूंह के खिलाफ उनके चालक का आरोपी होने के बाद भी किन कारणों से कोई कार्यवाही नहीं की गई?

मनोहर लाल, मुख्यमन्त्री, हरियाणा

श्रीमान जी। विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

तारांकित प्रश्न संख्या 14/16/83 के सन्दर्भ में विवरण

बिन्दु ए) मुकदमा क्रमांक 41 दिनांक 27.11.2022 पुलिस स्टेशन, राज्य चौकसी ब्यूरो (अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो), गुरुग्राम विरूद्ध शाकिर पुत्र इलियास निवासी गांव नीमखेड़ा, तहसील पुन्हाना, जिला नूंह (मेवात) में दर्ज किया गया था। इस मुकदमा की तफती"ा के दौरान शाकिर पुत्र इलियास, मुख्य सिपाही राजेश, नं० 66/नूंह, एस०पी०ओ० रामबाबू व एस०पी०ओ० महेंद्र कुमार, थाना पुन्हाना जिला नूंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपी शाकिर का चालान माननीय न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नूंह में दिनांक 25.01.2023 को दिया गया। मुकदमा की आगामी तफतीश जारी है।

बिन्दु बी) श्री मनोज और श्री सतपाल एस०एच०ओ० के पद पर तैनात नहीं रहें जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, हालाँकि, वे आर०टी०ए० स्टाफ, नूंह में तैनात हैं। अब तक श्री मनोज और श्री सतपाल को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है और मुकदमा अभी अनुसंधानाधीन है।

बिन्दु सी) आरोपी शाकिर ने इस मुकदमा में रि"वत लेने के मामले में आर०टी०ए० कार्यालय के दो ड्राइवरों की भूमिका का खुलासा किया है। हालाँकि इस मुकदमा की तफतीश के दौरान, अब तक सचिव, आर०टी०ए०, जिला नूंह के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मुकदमा की आगामी तफती"ा जारी है।

*****

<u>**तारांकित प्रश्न संख्या –14/16/83**</u>

पैड के लिए नोट

मुकदमा कमांकः **41 दिनांक 27.11.2022 पुलिस स्टेशन, राज्य चौकसी ब्यूरो (अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो), गुरुग्राम।**

विरूद्धः शाकिर पुत्र इलियास निवासी गांव नीमखेड़ा, तहसील पुन्हाना, जिला नूंह (मेवात)।

ि”ाकायतकर्ताः हाजी अख़बर पुत्र रहमू निवासी गांव सेवली, तहसील होडल, जिला पलवल।

आरोपः यह मुकदमा शाकिर पुत्र इलियास के विरूद्ध जिला नूंह के क्षेत्र में ट्रकों को पार करने की ऐवज में शिकायतकर्ता से 28,000/– रुपये की अवैध रि”वत मांगने पर दर्ज किया गया।

वर्तमान स्थितिः इस मुकदमा की तफती”ा के दौरान शाकिर पुत्र इलियास, मुख्य सिपाही राजेश, नं० 66/नूंह, एस०पी०ओ० रामबाबू व एस०पी०ओ० महेंद्र कुमार, थाना पुन्हाना जिला नूंह को गिरफ्तार किया गया। मुख्य सिपाही राजेश, नं० 66/नूंह की जमानत माननीय उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा स्वीकार कर ली गई है। आरोपी शाकिर का चालान माननीय न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नूंह में दिनांक 25.01.2023 को दिया गया तथा जिसमें अब माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नूंह में आगामी तारीख 17.10.2023 चार्ज हेतू निि”चत की गई है।

इस मुकदमा के अपराध के दौरान श्री मनोज और श्री सतपाल एस०एच०ओ० के पद पर कही पर भी तैनात नहीं रहें, हालाँकि, वे आर०टी०ए० स्टाफ, नूंह में तैनात हैं। श्री मनोज और श्री सतपाल को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है।

आरोपी शाकिर ने इस मुकदमा में रि”वत लेने के मामले में आर०टी०ए० कार्यालय के दो ड्राइवरों जिनका नाम वली मोहम्मद और साहिद अहमद की भूमिका का खुलासा किया है। वली मोहम्मद की जमानत माननीय न्यायालय सैशन कोर्ट, नूंह द्वारा स्वीकार कर ली गई है तथा साहिद अहमद की जमानत माननीय उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा स्वीकार कर ली गई है। हालाँकि इस मुकदमा की तफतीश के दौरान, वर्तमान में सचिव, आर०टी०ए०, जिला नूंह के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला है। वर्तमान में, इस मुकदमा की आगामी तफती”ा जारी है।

*****